समय–सीमा (Fax)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./नियमन/बी–6/विविध/225/1452 भोपाल, दिनांक 26/05/2014

प्रति,

संयुक्त/उपसंचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा।

विषयः–कृषि उपज मण्डी समितियो मे किसानो द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादो के विपणन के संबंध मे जानकारी भेजने बावत्।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक/बी–6/नियमन/225/410 दिनांक 26.2.2010 एवं पत्र कमांक/1375 दिनांक 28.7.2010 एवं स्मरण पत्र कमांक/1383 दिनांक 01.5.2014

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रो का अवलोकन किजिये। प्रदेश के किसानो को जैविक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने बावत प्लेटफार्म आरक्षित करने के साथ ही अन्य समुचित सुविधायें मंडी प्रांगण एवं उपमण्डी प्रांगण मे उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस संबंध मे मण्डी प्रांगण मे आरक्षित प्लेटफार्म एवं उपलब्ध सुविधा की मण्डीवार जानकारी उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करे।

जैविक उत्पादो को विकय करने हेतु मण्डीवार प्रांगण मे प्रदान की गई व्यवस्था/सुविधा के साथ ही वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में मंडी प्रांगण में विकय जैविक उत्पादों की मंडीवार एवं जिंसवार जानकारी की निम्न प्रारूप में दिनांक 30.05.2014 को मासिक समीक्षा बैठक मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क.	मण्डी का नाम	मण्डी प्रांगण मे उपलब्ध सुविधा	मण्डी प्रांगण मे जैविक उत्पाद विकय हेतु लाई गई कृषि उपज का नाम	मण्डी प्रांगण मे जैविक उत्पाद विकय हेतु लाई गई कृषि उपज की मात्रा	प्राप्त विकय की गई कृषि उपज का मूल्य
1	2	3	4	5	6

(अपर संचालक महोदय के निर्देशानुसार)

26.5.14
उप संचालक (नियमन)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

संदीप 2